प्रकाशन हेतु अनुमोदित

2010:CGHC:11405-DB

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री धीरन्द्र मिश्रा, एवं
माननीय श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायमूर्तिगण

दाण्डिक अपील क्रमांक 949/2003

अपीलार्थी सुरुति बाई

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ शासन

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित
आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

माननीय श्री धीरन्द्र मिश्रा, न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित
श्री धीरन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें : 28.07.2010

हस्ताक्षरित
न्यायाधीश
27/7/2010

2010:CGHC:11405-DB

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री धीरन्द्र मिश्रा, एवं

माननीय श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायमूर्तिगण

दाण्डिक अपील क्रमांक 949/2003

अपीलार्थीगण: सुरुति बाई, पति फिरतूराम, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम चिकनीपाली, पुलिस थाना करतला, जिला कोरबा (छ.ग.)।

बनाम

उतरवादीगण: छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा थाना, करतला, जिला कोरबा(छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपील अंतर्गत धारा 374(2), दंड प्रक्रिया संहिता. 1973

उपस्थित: अपीलार्थीगण की ओर से श्री के. के. सिंह, अधिवक्ता।

शासन की ओर से श्री संदीप यादव, उप-शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 28-7-2010 को पारित)

रंगनाथ चंद्राकर, न्यायमूर्ति के अनुसार।

1. अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत यह दाण्डिक अपील सत्र विचारण क्रमांक 171/2002 में पारित दिनांक 14-2-2003 के दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), कोरबा ने अपीलार्थी को लगभग 3-4 वर्ष के बालक कृष्ण कुमार की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया है, और उसे आजीवन कारावास तथा ₹500/- के जुर्माने से दंडित किया है, और जुर्माना देने में व्यतिक्रम पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन पक्षकथन, संक्षेप में, जैसा कि आक्षेपित निर्णय में दर्शाया गया है, वह यह है कि दिनांक 19-2-2002 को सुबह, विश्वनाथ (आ.सा./1) अपनी पत्नी शीत बाई (आ.सा./15), अपने पिता सोनौरम और अपने पुत्र खेमलाल (आ.सा./17) के साथ मनोज कुमार (आ.सा./16) और कृष्ण कुमार (मृतक) को घर पर छोड़कर, ईंटें बनाने के लिए अपने गाँव के मुरारी जायसवाल के खेत में गए थे। कुछ समय बाद, मनोज कुमार भी कृष्ण कुमार (मृतक) के साथ वहाँ आया, जिस पर विश्वनाथ ने कृष्ण कुमार को खेमलाल के साथ वापस घर भेज दिया। इसके बाद, लगभग 10:00 बजे, खेमलाल (आ.सा./17) कृष्ण कुमार को खेत में उनके पास लाया और बताया कि अपीलार्थी ने कृष्ण कुमार को पीने के लिए कोई दवाई दी थी, जिसके परिणामस्वरूप उसे पेट में दर्द हो रहा था। इस पर, विश्वनाथ ने कृष्ण कुमार की साँस सूँघी और उसके मुँह से दुर्गंध आती हुई पाई। पूछने पर, कृष्ण कुमार ने जवाब दिया कि अपीलार्थी ने उसे पीने के लिए कोई दवाई दी थी। इसके बाद, कृष्ण कुमार को घर लाया गया, जहाँ उसे उल्टी कराई गई और गाँव के शासकीय अस्पताल के कर्मचारी फिरातराम यादव (आ.सा./19)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा परीक्षण किया गया, जिसने कृष्ण कुमार को तत्काल शासकीय अस्पताल, कोरबा ले जाने की सलाह दी। कृष्ण कुमार को शासकीय अस्पताल, कोरबा ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। डॉ. डी.के. श्रीवास्तव (आ.सा./18) ने पुलिस चौकी रामपुर को मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/15) भेजी, जहाँ मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/7) शून्य पर पंजीकृत की गई। इसके बाद, सहायक उप-निरीक्षक ग्रांहण सिंह राठौर (आ.सा./12) द्वारा मृतक के शव पंचनामा (प्रदर्श पी/1) तैयार किया गया और अपराध दर्ज करने के लिए प्रदर्श पी/7 को पुलिस थाना करतला भेजा गया, जहाँ मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/17) पंजीकृत की गई। तत्पश्चात्, थाना प्रभारी एम.पी. टंडन (आ.सा./13), पुलिस थाना करतला, घटनास्थल ग्राम चिकनीपाली के लिए प्रस्थान किया, और साक्षियों के कथन दर्ज करने के बाद, देहाती नालिसी (प्रदर्श पी/10) अभिलिखित की, जिसके आधार पर पुलिस थाना करतला में प्राथमिकी (प्रदर्श पी/11) पंजीकृत की गई। कृष्ण कुमार के मृत शरीर का शव परीक्षण डॉ. डी.के. श्रीवास्तव (आ.सा./18) द्वारा किया गया। पटवारी नंद किशोर सिंह (आ.सा./14) द्वारा मौक़ा नक़्शा तैयार किया गया, और अपीलार्थी के पति फिरतूराम (आ.सा./7) द्वारा पेश किए जाने पर प्लास्टिक के पात्र में रखा मोनोक्रोटोफोस कीटनाशक (प्रदर्श पी/6) के तहत जब्त किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. शव परीक्षण के दौरान मृतक के शरीर से संरक्षित विसरा को रासायनिक परीक्षण के लिए एफ.एस.एल. भेजा गया और उसकी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/18) प्राप्त हुई, जिसके अनुसार मृतक के विसरा में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक मोनोक्रोटोफोस की उपस्थिति पाई गई।

4. विवेचना पूरी होने के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग-पत्र दाखिल किया गया और मामले को सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में उपार्पित किए जाने के बाद, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने विचारण के लिए मामले को अंतरण पर प्राप्त किया। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने लगभग 3-4 वर्ष के बालक कृष्ण कुमार की मृत्यु कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप विरचित किए। अपीलार्थी ने अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया।

5. अभियोजन ने अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को स्थापित करने के लिए, कुल 20 साक्षियों का परीक्षण कराया।तत्पश्चात्, अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध दर्शित परिस्थितियों से इनकार किया और अपनी निर्दोषता तथा झूठा फँसाये जाने का अभिवाक किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, अपीलार्थी को निर्णय की कंडिका एक में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध ठहराया और दंडित किया।

7. बालक कृष्ण कुमार की मृत्यु, जो विषपान के कारण हुई, विवादित नहीं है। डॉ. डी.के. श्रीवास्तव (आ.सा./18), जिसने शव परीक्षण किया और यह राय दी कि मृत्यु का कारण किसी विषाक्त सामग्री के सेवन के परिणामस्वरूप शॉक और कोमा था, के साक्ष्य से, और एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्रदर्श पी/18) से भी, यह स्थापित होता है कि मृतक की मृत्यु विषाक्त पदार्थ मोनोक्रोटोफोस का सेवन करने के परिणामस्वरूप हुई।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, श्री के.के. सिंह, ने पुरज़ोर तर्क किया कि विष द्वारा हत्या के मामले में दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए, अभियोजन का यह कर्तव्य है कि वह यह स्थापित करे कि अभियुक्त का मृतक को विष देने का कोई स्पष्ट हेतुक था।

अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थी का मृतक की हत्या करने का कोई हेतुक था। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त के कब्जे में विष था और उसे मृतक को विष देने का अवसर प्राप्त था। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है तथा अभियोजन परिस्थितियों की श्रृंखला को जोड़ने में पूरी तरह से विफल रहा है और अभियोजन साक्षियों के कथनों में बहुत अधिक विरोधाभास, लोप और सुधार हैं। इसलिए, दोषसिद्धि और दंडादेश सन्धार्य नहीं है।

9. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित उप शासकीय अधिवक्ता, श्री संदीप यादव, ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ-साथ आक्षेपित निर्णय का भी अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य {(1984) 4 एस.सी.सी.. 116}*** के मामले में, विष द्वारा हत्या या आत्महत्या पर विचार करते हुए, निर्णय के कंडिका क्रमांक 165 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "जहाँ तक इस मामले का संबंध है, ऐसे प्रकरणों में न्यायालय को साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना चाहिए और चार महत्वपूर्ण परिस्थितियों का अवधारण करना चाहिए जो अकेले दोषसिद्धि को न्यायोचित ठहरा सकती हैं:
>
> (i) अभियुक्त के पास मृतक को विष देने का एक स्पष्ट हेतुक होना चाहिए;
>
> (ii) मृतक की मृत्यु कथित रूप से दिए गए विष के कारण हुई हो;
>
> (iii) अभियुक्त के कब्जे में विष था;

(iv) उसके पास मृतक को विष देने का अवसर था।"

12. इस न्यायालय ने कृष्णा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य **{(2008) 1 सी.जी.एल.जे. 107 (डी.बी.)}** के प्रकरण में, उपर्युक्त उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए, इस बात पर विचार करते हुए कि विष देने के लिए हेतुक सिद्ध नहीं हुआ था और साथ ही अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभासों और विष देने के लिए अपनाए गए तरीके पर विचार करते हुए, अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया था।

13. इस घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है; इसलिए, हम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शरद बिरदीचंद सारदा (पूर्वोक्त) के मामले में निर्धारित विधि के सिद्धांतों के आलोक में यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्तमान प्रकरण में चार महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ स्थापित हुई हैं या नहीं, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य की जाँच, करने का प्रस्ताव करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्या मृतक को विष देने के लिए अभियुक्त का कोई स्पष्ट हेतुक है?

14. विचारण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण परिस्थिति पर अपने निर्णय में न तो विचार किया और न ही चर्चा की तथा अपीलार्थी द्वारा लिए गए बचाव के आधार पर कि उसे उसके पति और मृतक की माँ के बीच अवैध संबंध के कारण झूठा फँसाया गया था, आक्षेपित निर्णय की कंडिका 22 में प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला। विचारण न्यायालय ने गलत तौर पर यह माना कि अपीलार्थी के पति और मृतक की माँ के बीच अवैध संबंध अपीलार्थी द्वारा मृतक की मृत्यु कारित करने का हेतुक था। अपीलार्थी के पति फिरतुरम (आ.सा./7) और मृतक की माँ शीत बाई (आ.सा./15) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उन दोनों ने अपने बीच अवैध संबंध होने से इनकार किया और भले ही, तर्क के लिए, इसे स्वीकार भी कर लिया जाए, फिर भी हेतुक सिद्ध नहीं होता है क्योंकि मृतक की मृत्यु कारित करने से अपीलार्थी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और उसकी समस्या

अनसुलझी ही रहती है। यह भी सुसंगत है कि अपीलार्थी की मृतक के प्रति कोई द्वेष नहीं था, बल्कि उसका द्वेष अपने पति और मृतक की माँ शीत बाई के प्रति था। इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष असंधार्य है और यह मानते हुए अस्वीकार कर दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध इस सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति को स्थापित करने में विफल रहा है।

15. जहाँ तक दूसरी परिस्थिति का संबंध है, डॉ. डी.के. श्रीवास्तव (आ.सा./18) के कथन और एफ.एस.एल. प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/18) से यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक मोनोक्रोटोफोस के सेवन के कारण हुई, जैसा कि हम पहले ही पूर्ववर्ती कंडिकाओं में चर्चा कर चुके हैं।

16. अब तीसरी परिस्थिति पर आते हैं, क्या घटना के समय अभियुक्त अपीलार्थी के कब्जे में कथित विष था? अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि कथित विष फिरतुराम (आ.सा./7) द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर पुलिस थाने में जब्त किया गया था, जिसने कथन किया कि घटना की तारीख पर वह अपने घर पर उपस्थित नहीं था और शक्ति बाज़ार गया था, जहाँ से वह दो दिन बाद लौटा। उसने प्रदर्श पी/6 के तहत जब्त किए गए कथित विष को अपने घर में छिपा दिया था ताकि कोई इसका सेवन न कर सके। अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में उसने स्वीकार किया कि जब्त किया गया विष उस स्थान से बाहर लाया गया था जहाँ उसे उसके द्वारा रखा गया था। जब्ती के अन्य गवाह अमर प्रसाद (आ.सा./9) और हरिराम (आ.सा./10), ग्राम कोटवार हैं। अमर प्रसाद (आ.सा./9) ने कथन किया कि वह नहीं जानता कि फिरतुराम जब्त किया गया विष कहाँ से लाया था क्योंकि वह उसके साथ उसके घर नहीं गया था। हरिराम ने अपनी प्रतिपरीक्षण में कहा कि जब्त किया गया विष न तो पुलिस द्वारा और न ही उसके और अमर प्रसाद द्वारा फिरतुराम के घर से पाया गया था, बल्कि वह स्वयं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

फिरतुराम द्वारा बाहर लाया गया था। दोनों जब्ती गवाहों ने यह भी कहा कि उन्होंने पुलिस थाने में जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी/6) पर हस्ताक्षर किए और उसे उसी स्थिति में छोड़कर, जिस स्थिति में वह पुलिस थाने लाया गया था, अपने घर चले गए। वे नहीं जानते थे कि जब्त करने के बाद पुलिस द्वारा विष के जब्त किए गए पात्र के साथ क्या किया गया था। इस प्रकार, उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि कथित विष अपीलार्थी/अभियुक्त के मेमोरेंडम के आधार पर उसके कब्जे से जब्त नहीं किया गया था। यह भी स्पष्ट है कि जब्त किया गया विष साक्षियों के समक्ष सीलबंद नहीं किया गया था और फिरतुराम के साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह कहीं भी नहीं पाया जाता है कि जब्त किया गया विष अपीलार्थी की जानकारी में था। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में विफल रहा कि अपीलार्थी कथित विष के अनन्य कब्जे में थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. जहाँ तक चौथी परिस्थिति का संबंध है कि क्या अभियुक्त को मृतक को विष देने का अवसर मिला था, इस तथ्य के दो साक्षी थे, नामतः खेमलाल (आ.सा./17) और प्रकाश (आ.सा./5)। प्रकाश (आ.सा./5) को विचारण न्यायालय द्वारा अपना साक्ष्य देने के लिए सक्षम नहीं पाए जाने के कारण, बिना परीक्षण के ही उन्मोचित कर दिया गया। अब संपूर्ण अभियोजन कहानी मृतक के बड़े भाई खेमलाल (आ.सा./17) के साक्ष्य पर टिकी हुई है। उसने कथन किया है कि घटना की तारीख पर वह अपने माता-पिता, बड़े भाई मनोज कुमार और मृतक के साथ ईंट बनाने गया था। लगभग 10.00 बजे, वह कृष्ण कुमार (मृतक) को घर लाया और नहाने जाने के लिए कपड़े और साबुन इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि उसे स्कूल जाना था। उस समय, मृतक गली में प्रकाश (आ.सा./5) के साथ खेल रहा था, जहाँ अपीलार्थी आई और उन्हें अपने घर ले गई। उसने अपीलार्थी से मृतक के बारे में पूछा कि क्या वह उसके घर में है; अपीलार्थी ने नकारात्मक में उत्तर दिया। तत्पश्चात, जब वह हैंडपंप से स्नान करके अपने घर लौटा, तो अपीलार्थी उसे पीने

के लिए कोई दवाई देने के बाद मृतक को अपने घर से बाहर लाई और कुल्हाड़ी लेकर अपने रसोई उद्यान की ओर चली गई। मृतक रो रहा था और यह पूछे जाने पर कि उसे किसने मारा, उसने उत्तर दिया कि अपीलार्थी ने उसे कोई दवाई पिलाई थी। इसके बाद, वह मृतक को अपने माता-पिता के पास ले गया और अपने पिता से मृतक का मुँह सूँघने के लिए कहा, जिस पर उसके पिता ने मृतक की श्वास सूँघी और फिर उससे पूछा, तो मृतक ने उत्तर दिया कि अपीलार्थी ने उसे कोई दवाई पिलाई थी। उसकी माँ मृतक को घर ले गई; उस समय वह अचेत होने वाला था। गाँव के डॉक्टर यादव को बुलाया गया जिन्होंने मृतक को कोरबा ले जाने की सलाह दी, जिस पर उसके पिता मृतक को कोरबा ले गए जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि उसने न तो मृतक को कुछ पीते हुए देखा और न ही किसी के द्वारा उसे कुछ पिलाते हुए देखा। इसके अलावा, जैसा कि बचाव पक्ष द्वारा बताया गया है, उसके बयान में कई विरोधाभास, लोप और सुधार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. विश्वनाथ (आ.सा./1) और शीत बाई (आ.सा./15) मृतक के माता-पिता हैं। दोनों साक्षियों ने कथन किया है कि खेमलाल (आ.सा./17) मृतक को उनके पास लाया और उन्होंने मृतक के मुँह से दवाई (विष) की दुर्गंध आने को सूँघा। खेमलाल ने उन्हें अपीलार्थी द्वारा मृतक को विष दिए जाने की बात बताई थी। उन दोनों ने न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी कथन दिए हैं। एक ओर, उन्होंने यह कथन किया है कि जब मृतक को उनके पास लाया गया, तो मृतक ने उन्हें बताया कि अपीलार्थी द्वारा उसे कोई दवाई पीने के लिए दी गई थी, जबकि विश्वनाथ ने कंडिका 7 में स्पष्ट रूप से कथन किया कि जब मृतक को उसके पास लाया गया, तो वह अचेत अवस्था में था और यही कथन शीत बाई ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में दिया है। उनके बयानों में उपर्युक्त

विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं माना जा सकता है कि जब मृतक को उसके माता-पिता के पास लाया गया था, तब वह घटना का वर्णन करने की स्थिति में था। विश्वनाथ ने कंडिका 9 में यह भी स्वीकार किया कि अपीलार्थी के साथ कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। उपर्युक्त के अलावा, जैसा कि बचाव पक्ष द्वारा बताया गया है, उनके बयानों में स्पष्ट रूप से तात्विक विरोधाभास, लोप और सुधार हैं।

19. उपर्युक्त विश्लेषण को दृष्टि में रखते हुए, हम पाते हैं कि घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और प्रकाश (आ.सा./5) जिसे घटना के समय मृतक के साथ होना कहा गया था, को विचारण न्यायालय द्वारा अपना साक्ष्य देने के लिए असक्षम पाए जाने के कारण, बिना परीक्षण के ही उन्मोचित कर दिया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण किए गए अन्य साक्षी अनुश्रुत साक्षी होने के कारण तात्विक साक्षी नहीं हैं। अभियोजन पक्ष का प्रकरण मुख्य रूप से खेमलाल (आ.सा./17), विश्वनाथ (आ.सा./1) और शीत बाई (आ.सा./15) के साक्ष्य पर टिका है जो चक्षुदर्शी साक्षी नहीं थे और उनके कथनों में तात्विक विरोधाभास, लोप और सुधार हैं। ऐसी स्थिति में, उनके कथन विश्वसनीय नहीं माने जा सकते हैं। इसके अलावा, कथित विष न तो अपीलार्थी के अनन्य कब्जे से पाया गया और न ही जब्त किया गया और अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जब्त करने के बाद साक्षियों की उपस्थिति में उसे सीलबंद किया गया था। यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास मृतक की मृत्यु कारित करने का कोई हेतुक नहीं था। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष यह परिस्थिति भी सिद्ध करने में विफल रहा कि केवल अभियुक्त/अपीलार्थी को ही मृतक को विष देने का अवसर मिला था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उपर्युक्त कारणों से, हमारी यह राय है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा है, क्योंकि

अभियुक्त/अपीलार्थी पर दोष सिद्ध करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला सिद्ध नहीं हुई है।

21. तदनुसार, अपील सफल होती है और एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराने वाला आक्षेपित दोषसिद्धि निर्णय अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी जेल में है। उसे तत्काल रिहा किया जाए, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो।

हस्ताक्षरित **हस्ताक्षरित**

श्री धीरन्द्र मिश्रा **आर.एन. चंद्राकर**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Malay Jain